

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-6
संख्या- 561 /XXVIII(6)-2019-04 (पैरा)/2019
देहरादून दिनांक 25 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-840/चि0शि0/05/रा0पैरा0का0/2017 दिनांक-01.08.2019 के क्रम में राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल के डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शैक्षिक सत्र 2019-20 से शुल्क का निर्धारण निम्नवत किया जाता है:-

S.No.	Item Head	Paramedical Degree Courses Fee (Rs)
1-	Admission/Registration Fee (Only at the time of admission)	500
2-	Tuition Fee	35000
3-	Library Fee	1900
4-	Laboratory Fee	2000
5-	Games/Cultural Activity Fee	500
6-	Identity Card (Only at the time of admission)	100
7-	* Examination Fee	As per University
8-	*Mess Fee	Students Cooperative mess
9-	Security/Caution money(Refundable)	5000
	Total	45,000

2- राजकीय संस्थानों द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य किसी नाम से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(गरिमा रौकली)
अपर सचिव।


संख्या: 561 /XXVIII (6)-2019-04 (पैरा)/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. कुल सचिव, हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।



4. प्राचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव/रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद, देहरादून।
6. सचिव, उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।


(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव।